कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी ।

संख्या– 144/सात–38(2)(2014–15), दिनांक, नई टिहरी, मार्च, 31, 2018

:: कार्यालय ज्ञाप ::

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–56(S/S)/2017 में चन्द्र शेखर रजवार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में आदेश दिनाक 17.05.2017 मे पारित निर्णय के अनुपालन में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं (लेखपाल) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन प्रकिया–2015 के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–1393/XVIII (12)/2017.03(3)/2014 T.C.1 दिनाक 27.10.2017 के अनुसार शासन द्वारा एकरूपता के सिद्वान्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समस्त जनपदों मे उक्त शासनादेश मे उल्लिखित सिद्वान्त अपनाते हुए लेखपाल/पटवारी के प्रशिक्षण हेतु रिक्तियों को मैरिट सूची से पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त कम में शासनादेश संख्या–1381/XVIII(I)2015-04/2017 दिनांक 24.09.2015 एवं शासनादेश संख्या–1754/XVIII(I)2015-03(3)/2014 T.C.1 दिनाक 19.12.2015 के अनुसार राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, आई0आर0डी0टी0, अपर आमवाला देहरादून से दिनांक 03.09.2016 को प्राप्त परीक्षा परिणाम/मेरिट सूची के आधार पर चयन समिति की सस्तुति दिनांक 27.03.2018 के कम में कार्यालय ज्ञाप संख्या–622/सात–38(2)(2014–15) दिनांक 30.12.2016 के द्वारा जारी संशोधित परीक्षा परिणाम के आधार पर कमांक–7 पर अंकित अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी श्री सुनील सिंह तोमर द्वारा प्रशिक्षण में योगदान न दिये जाने तथा उक्त सम्बन्ध में लिखित सूचना/शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तथा अनुसूचित जनजाति की वरियता सूची में उनसे कनिष्ठ अभ्यर्थी श्री दर्शन सिंह बिष्ट द्वारा भी राजस्व उपनिरीक्षक प्रशिक्षण हेतु पद ग्रहण न किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र/शपथ प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप उक्त दो अभ्यर्थियों श्री सुनील सिंह तोमर एवं श्री दर्शन सिह बिष्ट का अभ्यर्थन अन्तिम रूप से निरस्त किया जाता है । अनुसूचित जनजाति की वरियता सूची मे श्री सुनील सिंह तोमर एवं श्री दर्शन सिह बिष्ट से कनिष्ठ अभ्यर्थी को राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) प्रशिक्षण हेतु निम्न प्रकार चयनित किया जाता है:–

क0	अनुकमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	लिंग	प्राप्तांक
1	16011150	श्री प्रकाश सिंह राणा	श्री बहादुर सिंह	06.07.1990	अनुसूचित जनजाति	पुरूष	120.50

उक्त चयनित अभ्यर्थी को एक सप्ताह के अन्दर सत्यापन हेतु मूल शैक्षणिक अभिलेख एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रतीक्षा/चयन सूची एक वर्ष की अवधि तक ही वैध रहेगी। प्रतीक्षा/चयन सूची मे चयनित अभ्यर्थी द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक प्रशिक्षण हेतु योगदान न दिये जाने की दशा मे वरियता सूची मे उनसे कनिष्ठ अभ्यर्थी राजस्व उपनिरीक्षक प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। उक्त चयनित अभ्यर्थी को राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने के सम्बन्ध में शासन/परिषद से निर्देश प्राप्त होने पर पृथक से अवगत कराया जायेगा।

(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, राजस्व अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
5. निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रतीक्षा/चयन सूची को आज ही जनपद की वेबसाईट www.tehri.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
7. जिला सूचना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
8. उपरोक्त अभ्यर्थी ।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल ।